बिहार सरकार

विधि विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-बी0/मु0स्था0-02-01/2004/ 26 /जे0, पटना,दिनांक 06.03.2014

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश सं0-70 दिनांक-21.02.2014 एवं आदेश सं0-74 दिनांक-21.02.2014 द्वारा बिहार, कर्मचारी चयन आयोग, पटना के विज्ञप्ति स्नातक स्तरीय प्रथम संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन सं0-110/2010 की अनुशंसा के आधार पर बिहार सचिवालय सेवा के अन्तर्गत सहायक के पद पर वेतन बैंड-9300-34800/= ग्रेड वेतन-4600/= में सशर्त औपबंधिक रूप से नियुक्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय आदेश सं0-85 दिनांक-03.03.2014 द्वारा विधि विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित निम्नांकित सहायकों का उनके नाम के सामने स्तंभ 4 में अंकित तिथि से तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से योगदान स्वीकृत किया जाता है।

क्रमांक	नवनियुक्त सहायक का नाम	मेधा क्रमांक	तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से योगदान स्वीकृति की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री वरूण कुमार पाण्डेय	130	03.03.2014(अपराह्न)
2.	श्री अजीत कुमार	146	04.03.2014 (पूर्वाह्न)
3	श्री रविन्द्र कुमार	322	03.03.2014(अपराह्न)
4	श्री अरूण कुमार	780	04.03.2014 (पूर्वाह्न)
5	श्री शिवेश्वर सुमन	1602	04.03.2014 (अपराह्न)
6.	श्री विजय कुमार	1615	04.03.2014 (पूर्वाह्न)
7	श्री अरूण कुमार पासवान	5892	05.03.2014 (अपराह्न)

2. दिनांक 04.03.2014 तक विभाग में योगदान देने वाले क्रमांक 1, 2, 4, 5, एवं 6 पर अंकित सहायकों का तीन माह का वेतन का औपबंधिक रूप से भुगतान दिनांक-24.02.2014 के प्रभाव से किया जायेगा तथा क्रमांक 7 पर अंकित सहायक का औपबंधिक रूप से तीन माह तक वेतन का भुगतान उनके विभाग में योगदान की तिथि के आधार पर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त क्रमांक 3 पर अंकित श्री रविन्द्र कुमार, नवनियुक्त सहायक का वेतन का भुगतान दिनांक 25.02.2014 के प्रभाव से किया जायेगा।
3. उपर्युक्त नवनियुक्त सहायकों का PRAN आवंटन के पश्चात् ही वेतन का भुगतान किया जायेगा।
4. उपर्युक्त सभी नवनियुक्त सहायकों के नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि नियुक्ति पदाधिकारी से करायी जायेगी। यदि तीन माह के अन्दर यह सम्पुष्टि पुर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त सहायक के वेत्तनादि की निकासी तब तक नहीं कि जायेगी जबतक समान्य प्रशासन विभाग द्वारा इनकी नियुक्ति पत्र की संपुष्टि नहीं हो जाती है।
5. उपर्युक्त सभी नवनियुक्त सहायकों को विभाग में योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-अनिल कुमार सिंह
सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञापांक ..../जे0 पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-अनिल कुमार सिंह
सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञापांक ..../जे0 पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके आदेश ज्ञापांक-85 दिनांक-03.03.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-अनिल कुमार सिंह
सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञापांक ....1671/..../जे0 पटना, दिनांक 06/03/14

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित नवनियुक्त सहायक/ विभागीय लेखा शाखा (दोहरी प्रति में)/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, विधि विभाग, बिहार/ आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.3.14

(अनिल कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव, बिहार।

D:\Sanjeet (A)\Office Order\54 j doc